डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 572] भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2004—पौष 6, शक 1926

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2004

क्र. 7592-तेरह-2004.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 172(a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल को मध्यप्रदेश में अनुज्ञप्तिधारक के रूप में कार्य जारी रखने के लिए, केन्द्र शासन, विद्युत् मंत्रालय के पत्र क्रमांक 25-21-2004-आर.एंड.आर., दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रदान की गई सहमति अनुसार, 31 दिसम्बर 2004 से आगे 9 जून 2005 तक की अवधि के लिए अधिकृत करती है.

No. 7592-XIII-2004.—In exercise of powers conferred by Section 172(a) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government hereby authorizes Madhya Pradesh State Electricity Board to continue to function as a licensee in Madhya Pradesh for a further period up to 9th June 2005 beyond 31st December 2004, as agreed by the Central Government, vide Ministry of Power letter No. 25-21-2004-R&R, dated 22nd December, 2004.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. जैन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2004

क्र. 7594-एफ.-आर.एस.-17-तेरह-2002.—मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 23 की उपधारा (1), (2) और (3), धारा 24 तथा धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 131 की उपधारा (1), (2), (5), (6) और (7) तथा धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 10 में, शब्द "पन्द्रह मास" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर, शब्द "बीस मास" स्थापित किये जाएं.

No. 7594-F-RS-17-XIII-2002.—In exercise of the powers conferred by the sub sections (1), (2), (5), (6) and (7) of Section 131 and Section 133 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-section (1), (2) and (3) of Section 23, Section 24 and sub-section (2) of Section 56 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001), the State Government hereby makes the following amendment in Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rule, 2003, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 10, for the words "fifteen months" wherever they occur, the words "twenty months" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. जैन, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.